डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

मु0 उ0 मुंशी बनाम मंगल वगै0

दावा बाबत् 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 95/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ___ व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नं0 817 रकबा 0.22, 818 रकबा 0.15, 875 रकबा 0.38 वाके ग्राम ऊंच तहसील नदबई पर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की उक्त विवादित खातेदारी की आराजी में किसी भी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करें एव डोर मैड आदि तोडकर अतिक्रमण नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

बैज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद ब शरह ___ फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ___ की अदा करें ।

आज दसख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 21/07/25 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत ________
शाखा
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूप्या	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:09:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. मुंशी पुत्र प्रभू जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. रामचरन पुत्र प्रभू जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. शिवचरन पुत्र प्रभू जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. सुरेश पुत्र प्रभू जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—वादीगण

बनाम

1. मंगल पुत्र कंगली फौत जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राममोहन पुत्र मंगल जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. मोहनसिंह पुत्र मंगल जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. अजयसिंह पुत्र राममोहन जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. विजयसिंह पुत्र राममोहन जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. राज. ग्रामीण बैंक नदबई।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

— प्रतिवादीगण

2/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:09:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 95/2018
जीसीएमएस नं0 2018/00194
किस्म दावा 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 21.07.2025

1. मुंशी पुत्र प्रभू जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. रामचरन पुत्र प्रभू जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. शिवचरन पुत्र प्रभू जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. सुरेश पुत्र प्रभू जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—वादीगण

बनाम

1. मंगल पुत्र कंगली फौत जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. राममोहन पुत्र मंगल जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. मोहनसिंह पुत्र मंगल जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. अजयसिंह पुत्र राममोहन जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. विजयसिंह पुत्र राममोहन जाति जाटव निवासी ऊंच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. राज. ग्रामीण बैंक नदबई।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।

उपस्थित श्री राजू सिंह एड0(वादी की ओर से)

श्री अशोक कुमार (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अन्त.धारा 188 आर.टी.ए.

वादीगण द्वारा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत पेश किया गया। दावा के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है :—

1. यह कि आराजी खसरा नं० 817 रकबा 0.22, [illegible] रकबा 0.15, 875 रकबा 0.38 वाके ग्राम ऊंच तहसील नदबई स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:09:24 IST
Reason: SelfAttested

21/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि उक्त विवादित आराजी वादीगण की पैतृक आराजी है जो वादीगण को अपने पिता प्रभू से प्राप्त हुई है। जिसमें वादीगण की न्यारानूर की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का चाचा है जो कि हमेशा वादीगण के पिता प्रभू से भी आराजी के संबंध में विवाद करता रहता था जिससे परेशान होकर वादीगण के पिता ने अपनी आराजी की कुरेबंदी करवा ली तथा अलग–अलग खातेदारी हो गई। उक्त विवादित आराजी के चिपटैमा प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नंबर 816, 876 है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 उसके पुत्र व पौते प्रति. सं. 2 लगायत 4 के मन में हमेशा बदनीयती ही रही है। जिस कारण प्रवितादीगण संख्या 1 लगायत 5 वादीगण की आराजी पर अतिक्रूमण करना चाहते हैं तथा आए दिन झगडा फसाद करते हैं।

3. यह कि उक्त आराजी को हडपने की नीयत से प्रतिवादी संख्या 1 ने सन 2015 में दावा मंगल बनाम मुंशी वगै0 विभाजन का पेश किया जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण की कोई शामिल खातेदारी नहीं है। वादीगण के खसरा नंबरान पर किया गया दावा जिसमें न्यायालय श्रीमान की पैमाईश के आदेश दिए गए जिसके अनुसार दिनांक 25.06.17 को पैमाईश हो चुकी है परन्तु प्रतिवादीगण हमेशा परेशान करते रहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के साथ दो बार वारदात कर चुके हैं जिनके खिलाफ न्यायालय श्रीमान ऐसीजेएम में मुकदमे विचाराधीन हैं तथा प्रतिवादीगण को अंतर्गत धारा 107–116 के तहत पाबंद भी किया गया है। जिसके बाबजूद भी प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी को हडपने पर आमादा हैं। तथा आराजी की मेड को तोडकर फसल को नष्ट कर वादीगण की आराजी में अतिक्रमण कर रहे हैं।

4. अंत में प्रार्थना की कि प्रतिवादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करे तथा डोर मैड न तोडे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रति. [illegible] ओर से अशोक कुमार एड. उपस्थित हुए तथा प्रति[illegible] के विरूद्ध तामील बाबजूद भी न्यायालय में हाजि[illegible] कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:09:24 IST
Reason: SelfAttested

21/7/25
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 को जबाव दावा पेश करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किए तदुपरान्त जबाव दावा पेश नहीं किया गया अतः जबाव दावा बंद किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी पेश करने हेतु नियत की गई। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में वादी अधिवक्ता द्वारा जमाबंदी संवत 2071–74 वाके ग्राम ऊंच, नकल पैमाईश रिपोर्ट 25.06.2017, नकल प्राथमिकी रिपोर्ट 498/18 दिनांक 02.08.18 पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी द्वारा रामचरन पुत्र प्रभु जाति जाटव निवासी ऊंच, शिवचरन पुत्र प्रभु के शपथ पत्र पेश किये गये जिनसे जिरह प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किए तदुपरान्त पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया एवं वादीगण द्वारा पेश किए गए साक्ष्य एवं जिरह के अवलोकनोपरांत पाया कि उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 817 रकबा 0.22, 818 रकबा 0.15, 875 रकबा 0.38 वाके ग्राम ऊंच स्थित है। जिस पर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी का अंकन है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी में दखलंदाजी कर डोर मैड तोडकर अतिक्रमण कर रहे हैं एंव इस संबंध में न्यायालय के आदेश द्वारा विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक भदीरा से ली गई जिसमें स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का मौके पर रकबा रिकॉर्ड में दर्ज रकबा से अधिक है जो प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी में अतिक्रमण करने की पुष्टि करता है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः आदेश है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नं0 817 रकबा 0.22, 818 रकबा 0.15, 875 रकबा 0.38 वाके ग्राम ऊंच तहसील नदबई पर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की उक्त विवादित [illegible] की आराजी में किसी भी प्रकार की मदाखलत [illegible] नहीं करें एवं [illegible] मैड आदि तोडकर अतिक्रमण नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:09:24 IST
Reason: SelfAttested

21/7/25

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय आज दिनांक 21.7.25 को खुले ईजलास में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

21/7/25

(गंगाधर मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:09:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner